राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत समेलिया
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत समेलिया

प्रकरण सं. – 08/2015 रे.वा. **निर्णय दिनांक – 29.05.2015**

<u>अनवान</u>

1. श्री ताराराम पिता पन्ना जाति भील निवासी कंकेडिया तहसील भीम
2. श्री देवाराम पिता रूपाराम जाति भील निवासी कंकेडिया तहसील भीम

वादी

<u>बनाम</u>

1. श्री लक्ष्मणराम पिता गोपा जाति भील निवासी कंकेडिया तहसील भीम
2. श्रीमति फुली देवी पत्नि गोपा जाति भील निवासी कंकेडिया तहसील भीम
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 आर.टी.ए.</u>

वादी का वाद–पत्र इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम तीतरी, पटवार मण्डल समेलिया तहसील भीम में निम्न वर्णित आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगणो के बीच संयुक्त एवं स्वामित्व आधिपत्य में निम्न अनुसार है:–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वासी	
433	158	00	03	10	बंजड
	159	00	10	10	**चाही**
	160	00	05	00	चाही
	161	01	13	00	बंजड
	162	00	01	00	गैमुचाह
	163	00	18	00	चाही
	164	00	12	05	चाही
	165	00	05	00	बंजड
	167	00	08	00	बंजड
	188	00	01	00	बंजड
कुल किता 10 रकबा 04 बीघा 17 विस्वा 05 विस्वांसी					

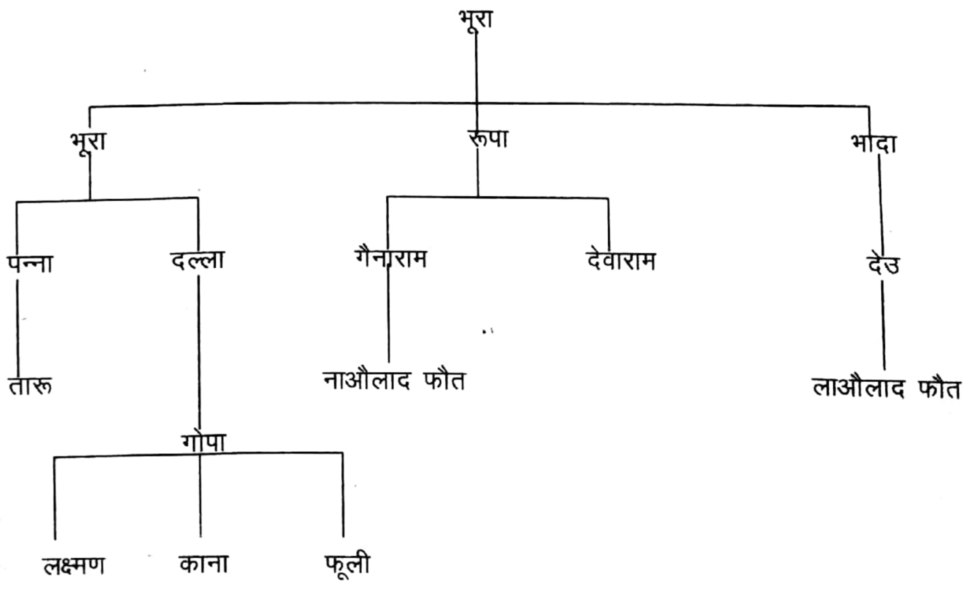

उक्त वर्णित आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा और वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा है। मौके पर जमीन का बंटवारा नही होने की वजह से किसी के पास ज्यादा व किसी के पास कम जमीन होने से फसल बोते व काटते समय अकसर लडाई

Scanned by CamScanner

झगडा होता रहता है। प्रतिवादी के मन में बदनियत आ जाने से वादी के हिस्से की भूमि को हड़पने की मंशा से उस पर लगी पालडोल को हटा वादी की भूमि को खुर्द बुर्द करने को आमदा है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प समोलिया** मे उपस्थित आपसी राजीनामे से वादी एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र आपसी सहमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश करने पर लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा और वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा उपरोक्तानुसार मौके पर काबिज अनुसार खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner